16

"आदेश"

श्री सतीश कुमार निवासी 1680 महमूदनगर इन्द्राकालौनी मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड संख्या-30 के संबंध में आपत्ति की गयी, कि वार्ड सं0 30 महमूदनगर आंशिक में इन्द्राकालोनी का आंशिक भाग सम्मिलित किया गया है, जिस कारण वार्ड सं0-30 का नाम महमूदनगर आंशिक इन्द्राकालौनी आंशिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 27.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि वार्ड के परिसीमन शासनादेश सं0-869/ 9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। विभागीय त्रूटि के कारण वार्ड सं0 30 महमूदनगर आं0 में इन्द्राकालोनी आं0 सम्मिलित होने के कारण शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक होना लिखा है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड संख्या-30 का नाम महमूदनगर आंशिक इन्द्राकालौनी आंशिक किया जाता है।

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर